सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.- NCST/SER-1681/BR/1/2024-SSW-RU-IV

Date : 04.11.2025

To,

The Chairman,
Bihar Gramin Bank,
HO: Shri Vishnu Commercial Complex,
NH-30, New Bypass,
Near BP Highway Service Petrol Pump,
Asochak, Patna – 800030
Email Id: chairman@dbgb.co.in

Sub: Representation of Ms. Sushma Minj, Uttar Bihar Gramin Bank Subhankarpur Shubhankarpur Darbhanga Bihar regarding harassment of ST Branch Head by the management of Uttar Bihar Gramin Bank.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the Minutes of the sitting held on 08.10.2025 under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes on the above mentioned subject for necessary action. A copy of representation dated 08.10.2025 received from the petitioner is also enclosed for information and necessary action.

It is requested that compliance report in the matter on the recommendation may be furnished to this Commission within 15 days positively for placing the same before the Hon'ble Commission.

Yours faithfully

Praveen Kumar Singh
Under Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

Copy to:-

Ms. Sushma Minj,
W/o Lt. Benedict Xalxo
Flat No. 202, Fatima Nagar,
Middle Lane, Dangara Toli,
Ranchi, Jharkhand - 834001
Mobile No:9431637915
Email:- chhavi2233@gmail.com
Mobile No:9431637915

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

फ़ाइल : NCST/SER-1681/BR/1/2024-SSW

क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, दरभंगा, (बिहार) द्वारा आधिकारिक पत्र में जानबूझकर विडो शब्द का प्रयोग कर प्रताड़ित एवं अपमानित करने के संबंध में श्रीमती सुषमा मिज, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, शाखा प्रबंधक, शाखा – शुभंकरपुर, जिला-दरभंगा, बिहार का अभ्या वेदन के सम्बंध में आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 08.10.2025 को आयोग के मुख्यालय , लोक नायक भवन , खान मार्केट , नई दिल्ली , मे हुई सिटिंग का कार्यवृत ।

सिटिंग की तिथि एवं समय : 08.10.2025 को अपराह्न 02:30 बजे
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I अनुसार।

श्रीमती सुषमा मिंज से आयोग में शिकायत दिनांक 24.09.2023 को प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने बताया कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय-दरभंगा के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री मो० रियाजद्दीन अहमद द्वारा जानबूझकर याचिकाकर्ता (सुषमा मिंज) का मानसिक शोषण किया जा रहा है और उन्हें डराने के लिए बार-बार "WIDOW" शब्द से सम्बोधित किया जा रहा है, जिससे याचिकाकर्ता को अत्यधिक परेशानी और मानसिक पीड़ा हो रही है। इस प्रकार का व्यवहार 31.07.2023 को जारी पत्र में तीन बार याचिकाकर्ता को "WIDOW SUSHMA MINZ" के रूप में सम्बोधित करके किया गया है, जबकि उनका नाम केवल "SUSHMA MINZ" है। इसके अलावा, शाखा शुभंकरपुर में महिला कर्मियों के साथ काम करते हुए याचिकाकर्ता को अकेले छोड़कर वसूली एवं ऋण वितरण के कार्य सौंपे जा रहे हैं। श्री अहमद द्वारा दिए गए आदेशों और पत्रों में याचिकाकर्ता को बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा है, जैसे कि अवैतनिक अवकाश के लिए स्पष्टीकरण माँगना और वेतन वृद्धि की प्रक्रिया में देरी करना। याचिकाकर्ता के दिवंगत पति की मृत्यु के बाद वे अकेले दरभंगा में रह रही हैं और इस प्रकार के व्यवहार से वे भयभीत हैं। वे एक अनुसूचित जनजाति की महिला हैं और उन्हें श्री अहमद के दुर्व्यवहार से मानसिक और शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ रहा है। अतः याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि उपरोक्त मामले की जांच कर उन्हें न्याय प्रदान किया जाए।

2. प्रकरण के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु आयोग द्वारा अध्यक्ष, बिहार ग्रामीण बैंक , मुज़फ्फरपुर, बिहार को नोटिस दिनांक 19.09.2024 को भेजा गया ।

3. मामले की गम्भीरता को देखते हुए आयोग द्वारा मामले में दिनांक 31.01.2025 एवम् 16.05.2025 को सम्बंधित अधिकारियों एवम् अवेदक की उपस्थिति में सुनवाई सम्पन्न की गई । उक्त सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएँ की गईं :
(i) स्थानांतरण (Premature Transfer) से संबंधित शिकायत: शिकायतकर्ता का कहना है कि उनका स्थानांतरण बिना उचित कारण और बिना उनकी सुनवाई के किया गया है, जबकि वे ईमानदारी से अपना काम करती हैं। इस प्रकार के स्थानांतरण से शिकायतकर्ता में असंतोष है। विभाग को इस मामले पर पुनः विचार करना चाहिए और उनकी पहले वाली पोस्टिंग पर पुनः विचार किया जाए। विभाग को इस पर त्वरित और निष्पक्ष निर्णय लेने की आवश्यकता है।

आशा लकड़ा

(ii)'Widow' शब्द का उपयोग: किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ "widow" शब्द का इस्तेमाल करना, उचित नहीं प्रतित होता। विभाग के प्रतिनिधि अधिकारी द्वारा यह जानकारी दी गई है कि इस पर कार्रवाई की जा चुकी है। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न हो। इसके लिए विभाग द्वारा एक निर्देशिका (Guidelines) जारी की जा सकती है, जिससे ऐसे शब्दों के उपयोग पर स्पष्ट निर्देश मिल सकें।

4. पिछली सुनवाई की कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) दिनांक 03.07.2025 को आवेदिका श्रीमती सुषमा मिंज को जानकारी हेतु प्रेषित किया गया।

5. श्रीमती सुषमा मिंज द्वारा लगातार पत्राचार के माध्यम से अपनी असहमति व्यक्त की गई तथा पुनः सुनवाई के लिए अनुरोध किया गया।

6. मामले में पुनः सुनवाई दिनांक 08.10.2025 को निर्धारित की गई, जिसके अनुसार अध्यक्ष, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुज़फ्फरपुर, बिहार को समन जारी किया गया और अभ्यावेदिका को भी इसकी सूचना प्रदान की गई।

7. सुनवाई के दौरान अध्यक्ष, बिहार ग्रामीण बैंक, मुज़फ्फरपुर, बिहार उपस्थित हुए । अभ्यावेदिका भी सुनवाई के दौरान उपस्थित रही ।

मामले में आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसा की जाती है:

(i) श्रीमती सुषमा मिंज द्वारा प्रस्तुत लिखित पत्र को अध्यक्ष, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुज़फ्फरपुर को आवश्यक अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

(ii) मामले में अध्यक्ष, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना 15 दिन के भीतर आयोग को प्रेषित की जाए। इसके उपरांत, उक्त प्रकरण को आयोग में बंद किया जाएगा ।

आशा लकड़ा
17/10/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

दि. 08. 10. 2025

सेवा में,

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
बिहार ग्रामीण बैंक
प्रधान कार्यालय, पटना।

संदर्भ - Case file No: NCST|SER-1681|BR|1|2024-SSW-RU
Date. 01. 10. 2025, Hearing on 8-10-2025.

महाशय,

उपरोक्त संदर्भीत केश, प्रीमेच्योर ट्रान्सफर बैंकिंग नियमावली के विरुद्ध क्षेत्रीय कार्या. प्रबंधक दरभंगा द्वारा की गई, जातिगत भेदभाव, बदले की भावना के विरुद्ध, आज दि. 08. 10. 25 को NCST आयोग, नई दिल्ली मुख्यालय पर तीसरी सुनवाई हुई, जिसमें श्रीमान आपकी मौजूदगी की मैं सारे हृदय से आभार प्रगट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ।

आज NCST न्यायालय के समक्ष की गई बात विचार के आधार पर मैं क्षेत्रीय कार्यालय, दरभंगा (लहेरियासराय) में कार्य करने की इच्छुक हूँ।

अतः मुझे, क्षेत्रीय कार्या. दरभंगा में अपनी बैंकिंग सेवा प्रदान करने की अनुमति दी जाए। इसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी।

सधन्यवाद,

[signature]
08.10.25

Copy to :-

डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्य,
NCST आयोग
नई दिल्ली।

सुषमा मिंज
बीरेंद्र अपार्टमेंट
मीडिल रोड
डोरण्डा रांची

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/SER-1681/BR/1/2024-SSW-RU-IV

Sitting to be held on **08.10.2025 at 02.30 P.M-** Representation of **Ms. Sushma Minj**, Uttar Bihar Gramin Bank Subhankarpur Shubhankarpur Darbhanga Bihar regarding harassment of ST Branch Head by the management of Uttar Bihar Gramin Bank.

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3	Shri H.R. Meena Consultant		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II	**Officers from O/o Bihar Gramin Bank, Patna**		
1.	Mukul Saha	Bihar Gramin Bank Patna 7042907879	[signature]
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
III	**Petitioners**		
1.	Sushma Minj	9431637915	[signature]
2			